FORM-1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, SIKAR

No./Rev/2017/ 2809-10

Dated 25/7/17

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

To,

P.D.-II (PPP) , Jaipur
PWD, Rajasthan

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government or India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers '(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA',for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoeF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that total **9.65** Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **PWD, Rajasthan** for Improvement, Strengthening and widening of Tarnau-Deedawana-Laxmangarh-Mukundgarh Highway section of SH-60, SH-20, SH-83, SH-82A & SH-8 (Proposed for Diversion of forest Land) in Sikar District having notified forest Khasras in village Chhota Bhuma Khasra No. 200/2, area 4.325ha. Beed Laxmangarh Khasra No. 1398/1094 area 3.9 ha. and village Balaran Khasra No. 180/1/1 area 1.425 ha. in **Laxmangarh tehsil.**

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire 9.65 Hectares of forest area proposed for diversion in village Bhuma Chhota, Beed Laxmangarh and village Balaran. A copy of records of all consultation and meeting of forest rights committee(s). Gram sabha(s), Sub-Division level Committee(s) and the District level committe are enclosed annexure A to annexure B.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabha(s) have given their consent to it:

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Trible Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As Above

(Naresh Kumar Thakral)
District Collector
Sikar

No./Rev/2017/

Date :

Copy forwarded to :
D.C.F Sikar for N.A

District Collector, Sikar

F:/ mahendra / letter 2

राजस्थान सरकार

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति (उपखण्ड अधिकारी) लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर

क्रमांकः– भूमि अवा./पी.पी.पी.मोड/2017/ 166-67 दिनांकः– 21/07/17

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
सीकर।

Rev. 21/7/17

विषयः– FRA CERTIFICATE ज़ारी करने के लिए मीटिंग का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि FRA CERTIFICATE जारी करने हेतु दिनांक 17.07.2017 को उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में की गई। जिसमें उपखण्ड अधिकारी सहित तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, विकास अधिकारी पं.स. लक्ष्मणगढ़ एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ उपस्थित थे।

अतः श्रीमानजी की सेवा में बैठक कार्यवाही विवरण, प्रस्ताव एवं FRA CERTIFICATE के फॉरमेट की प्रति पत्र के संलग्न आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति
(उपखण्ड अधिकारी)
लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
एवं उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

क्रमांकः– भूमि अवा./पी.पी.पी.मोड/2017/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्रीमान जिला वन अधिकारी, सीकर को सूचनार्थ।

सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति
(उपखण्ड अधिकारी)
लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
एवं उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

...oject Director-II (PPP)
...D, Rajasthan, Jaipur

[redacted]

बैठक कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ की अध्यक्षता में दिनांक 17/07/2017 को बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न लिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्र.सं.	उपस्थित सदस्य	हस्ताक्षर
1.	श्री अनिल महला, उपखंड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़	(हस्ताक्षर)
2.	श्री दयानन्द रोहिल, तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़	
3.	श्री सुनील ढाका, विकास अधिकारी लक्ष्मणगढ़	(हस्ताक्षर)
4.	श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़ / श्री मदन लाल कुलदीप क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़	(हस्ताक्षर)

क्र.सं.	नाम प्रकरण	कुल सैम्पल	वन खण्ड नाम
1.	ग्राम भूमा छोटा का खसरा नं. 200/2 का र० 4.325 है. वन भूमि के अनारक्षण के सम्बन्ध में कुल र० 53.61 है.	4.325	भूमा छोटा
2.	वन खण्ड कोड़ लक्ष्मणगढ़ का खसरा नं० 1398/1094 का रकबा 3.90 है० वन भूमि के अनारक्षण के सम्बन्ध में कुल रकबा 59.18 है०	3.900 है.	कोड़ लक्ष्मणगढ़
3.	ग्राम बलारा का ख० नं० 1841/1 का 1.425 है. वन भूमि के अनारक्षण के सम्बन्ध में कुल र० 46.06 है.	1.425 है.	बलारा
		9.6500 है.	

(हस्ताक्षर)

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
एवं उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

लगातार

विचार विमर्श के उपरान्त बैठक में उक्त वन भूमि नागौर–डीडवाना–सालासर–लक्ष्मणगढ़–मुकुन्दगढ़ स्टेट हाईवे 82, 82ए, 83 और 8 हेतु भूमि प्रत्यावर्तन (सड़क हेतु) निम्नानुसार निर्णय लिया गया उपरोक्त विचार विमर्श पर प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव में वन भूमि को गैर वन भूमि उपयोग में लेने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र में कोई वन अधिकार की मान्यता में वांछित अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई समूह या परिवार का कोई दावा प्राप्त नहीं है, कोई दावा प्रस्तावित या लम्बित नहीं है। प्रस्तावित वन भूमि/ रक्षित वन पट्टी 82, 82ए, 83 और 8 स्टेट हाईवे सड़क पर प्रस्तावित समुदायों के लिए भी प्रभावित नहीं होते हैं। अतः प्रत्यावर्तन में इस अधिनियम की कोई धारा प्रभावित नहीं होती है।

अध्यक्ष
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सदस्य
तहसीलदार
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सदस्य
विकास अधिकारी पंचायत समिति
लक्ष्मणगढ़

सदस्य
सहायक वन अधिकारी
लक्ष्मणगढ़

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
एवं उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

Project ... PWD

कार्यालय ग्राम पंचायत, बलारां पं.स. लक्ष्मणगढ़ (सी

हेमराज
सरपंच
ग्राम पंचायत, बलारां
तह. लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, मो. 9772002521

प्रेषित :
श्रीमान् ....
....
....

क्रमांक

दिनांक 02/06/21

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम बलारां 1358/, रकबा 3.11 है तथा ख.नं. 1360/// रकबा 4 किता कमरा बीड़ में से राष्ट्रीय राजमार्ग 83,82 नागौर तरनाऊ डीडवाना मुकन्दगढ़ के निर्माण हेतु अवाप्त की जाती है तो ग्राम पंचायत बलारां को कोई आ

हेमराज
सरपंच
ग्राम पंचायत बलारां
पं. स. लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

ग्रामसेवक/पदेन सचिव
ग्राम पंचायत बलारां
पं.स. लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

Project Director (PPP)
PWD, Rajasthan, Jaipur

॥श्री॥

कार्यालय ग्राम पंचायत बादूसर

पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

विजेता शर्मा
सरपंच

मो. 95713164
98281385

क्रमांक 0242 अनापत्ती प्रमाण पत्र

दिनांक 19.5.

सेवामें,

श्रीमान वन अधिकारी
वन विभाग

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग 83.83.83 A [illegible] - नागौर - डीडवाना - मुकुन्दगढ़ मार्ग निर्माण की योजना में प्रस्तावित वन भूमी के प्रत्यावर्तन हेतु।

महोदय जी उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत बादूसर के ग्राम - [illegible] से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि (वन भूमि) के उपयोग को लिया जाना प्रस्तावित है। यह भूमि वन प्रत्यावर्तन करने का ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की आपत्ती नहीं है।

प्रतिलिपि
श्रीमान BDO - [illegible]
श्रीमान तहसीलदार [illegible]
श्रीमान SDM - [illegible]
[illegible]

प्रेषित 19.5.17

Sharma
Project Director (PPF)

(विजेता शर्मा)
सरपंच
ग्राम पंचायत बादूसर
पं. स. लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

कार्यालय ग्राम पंचायत कलारां, पं० स० लाडनूं

क्रमांक 54

श्रीमान विकास अधिकारी महोदय
पं० स० लाडनूं

विषय - भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि चाहे गये ग्राम पंचायत कलारां के राष्ट्रीय राजमार्ग 82 82ब नागौर तरनाऊ डीडवाना ... हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव ... आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

[signature]
02/06/2017
(रामचन्द्र)
ग्रामसेवक/पदेन सचिव
ग्राम पंचायत कलारां
पं० स० लाडनूं (नागौर)

[signature]
Project ... (PPP)
PWD, Rajasthan, Jaipur

कार्यालय ग्राम पंचायत बलारां पं० स० लक्ष्मणगढ़ [illegible]

दिनांक 02/06/2017

प्रस्ताव प्रतिलिपि (ग्रामसभा दिनांक [illegible]

प्रस्ताव सं. 5 ग्राम बलारां के [illegible]
1381, रकबा 3.11 हैक्टेयर तथा ख[illegible]
रकबा 46.06 हैक्टेयर किस्म बजड़ कीड़ में [illegible]
राष्ट्रीय राजमार्ग 83, 82, 82ए नागौर [illegible]
डीडवाना मुकुन्दगढ़ के निर्माण हेतु भूमि प्रत्यावर्तन
प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया।

(हस्ताक्षर)
ग्रामसेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत बलारां
पं०स० लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

(हस्ताक्षर)
सरपंच
ग्राम पंचायत बलारां
पं०स० लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

(हस्ताक्षर)
Project ... (PPP)
PWD Rajasthan, Jaipur

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर,सीकर (राज0)

क्रमांक: राजस्व/2017/2788-92 दिनांक:– 21/7/17

1. उपवन संरक्षक, सीकर।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीकर।
3. श्री मुकेश कुमार मीणा, जिला परिषद सदस्य, मु. पो. राजपुरा तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर 9928102418।
4. श्रीमति बीना वर्मा, जिला परिषद सदस्य, मु. खेरवों की ढाणी पोस्ट झाड़ली तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर, मो. 7734962779।
5. श्री भंवरलाल वर्मा, जिला परिषद सदस्य, मु. तुलसीरामपुरा, पो. गावटी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, मो. 9829395530।

विषय:– स्टेट हाईवे 82, 82A, 83 नागौर तरनाऊ डीडवाना सालासर मुंकन्दगढ़ सड़क व स्टेट हाईवे 20 व 20A सीकर जसवन्तगढ़ सड़क मार्ग में आने वाली वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक स्टेट हाईवे 82, 82A, 83 नागौर तरनाऊ डीडवाना सालासर मुंकन्दगढ़ सड़क व स्टेट हाईवे 20 व 20A सीकर जसवन्तगढ़ सड़क मार्ग में आने वाली वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अनुसार कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय रानिति (ग्रामीण) की मिटींग दिनांक 25.07.2017 को प्रातः 10 बजें कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। जिसमें आप उपस्थित होवे।

अपर जिला कलक्टर,
प्रभारी अधिकारी,राजस्व शाखा,
कलेक्ट्रेट,सीकर

Project Director II (PPP)
PWD, Rajasthan, Jaipur

D:\Revunue cell\vividh.doc

आज दिनांक 25.7 को जिला कलक्टर महोदय सीकर की अध्यक्षता में अनुसूचित ~~जनजाति~~ एवं परम्परागत अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति जिला ~~सीकर की~~ बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए

1. श्री जयप्रकाश DM सीकर
2. " राजेन्द्र कुमार हुड्डा DFO सीकर
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी सीकर
4. परियोजना निदेशक II पीपीपी, जयपुर
5. श्री भंवर [illegible] वर्मा [illegible]
6. श्रीमती वीना वर्मा - जिला परिषद सीकर Veo

बैठक में निम्नांकित एजेन्डे पर विचार विमर्श किया गया जिसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 में गठित जिला स्तरीय समिति के कृत्यों का विश्लेषण किया गया।

क्र.सं. प्रकरण का विवरण [illegible]

(1) नागौर, लदनूं, लक्ष्मणगढ़ मुकुन्दगढ़ स्टेट हाईवे 8-A, 60, 20 व 8 में आने वाला क्षेत्र

1.	ग्राम कुमास जाटान के ख.नं. 200/2 रकबा 4.3252	4.3252 हे.	[illegible]
2.	कस्बा लक्ष्मणगढ़ के ख.नं. 1398/1094 रकबा 3.90 हे.	3.90 हे.	[illegible]
3.	ग्राम बलारां के ख.नं. 180/1/1 रकबा 1.425 हे.	1.425 हे.	[illegible]
	कुल	9.65 हे.	

(2) सीकर जसवन्तगढ़ SH 20, 20A में आने वाली भूमि

1.	कस्बा सीकर के ख.नं. 195 रकबा 3.3969 हे.	3.3949 हे.	[illegible]
2.	ग्राम नेछवा के ख.नं. 528/2 रकबा 0.7575 हे.	0.7575 हे.	[illegible]
		4.1524 हे.	

Project Director [illegible]
PWD [illegible] Jaipur

P.T.O.

PAGE NO.:
DATE:

क्रम संख्या पर उ... नागौर तरनाऊ पुरुडाग लाइफराज हेतु हाईवे के लिए ग्रामभूमि पोला के खसरा 2012 में से 5.325 हैक्टेयर व डुडकावास के खसरा नं. 1338/1054 में से 3.90 हैक्टेयर व ग्राम ... के खसरा 1801/1 में से 1.45 हैक्टेयर भूमि कुल 7.65 है. भूमि के सम्बन्ध में अनुसूचित जन जाति एवं परम्परागत वनवासी के हित अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक SDO लाडनूं की अध्यक्षता में दि. 6.11.17 को आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त सीकर-जसवन्तगढ़ स्टेट हाईवे के लिए ग्राम ... में उल्लेखित राजस्व सीमा के खसरा 1956 में से 3.3549 हैक्टेयर व ग्राम ... के खसरा 7051 में से 0.7575 है. कुल 4.524 है. भूमि के सम्बन्ध में अनुसूचित जन जाति एवं परम्परागत वन वासी के हित व अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 के तहत उप खण्ड स्तरीय समिति की क्रमशः उपखण्ड अधिकारी सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.17 को व उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.17 को बैठक आयोजित की गई। जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी अधिकार का कोई दावा लम्बित नहीं है। प्रत्यावर्तन से ऐसी किसी कृषक के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

उक्त प्रस्तावित दोनों प्रकरणों में वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 के वांछित कार्य भी अनुसूचित जन जाति या अन्य वन आजीविका पर आधारित कोई समुदाय या ऐसे प्राथमिक कृषक जिनके हित इस प्रत्यावर्तन से प्रभावित हो निवास नहीं करते एवं इनके कोई मामले लम्बित नहीं है। प्रस्तावित की गई है। ऐसी स्थिति के प्रत्यावर्तन हेतु कार्य को सर्व सम्मति से स्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

(signature)
जिला कलक्टर

Project Director (PIU)
(signature)